सं0 28/10/84-पेंशन एक्क
भारत सरकार/गृह मंत्रालय
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1984

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सरकार के विभागों तथा स्वायत्त निकायों के बीच कार्मिकों का आनाजाना - पेंशन के लिए सेवा का जोड़ा जाना ।

विद्यमान आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के बाहर की गई सेवा केन्द्रीय सरकार में पेंशन के लिए नहीं जोड़ी जाती किन्तु सरकार द्वारा वित्त पोषित अथवा नियंत्रित स्वायत्त निकायों के वैज्ञानिक कर्मचारियों के मामले इससे भिन्न हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार के अधीन स्थायी विलयन पर अपनी पहली सेवा को कतिपय शर्तों के अधीन पेंशन के लिए जोड़ने की अनुमति है । वैज्ञानिक कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कार्मिकों के संबंध में, जो केन्द्रीय सरकार में स्थायी हैं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा किसी स्वायत्त निकाय में बाद में उनका स्थायी विलयन हो जाने की स्थिति में, सरकार में की गई सेवा के लिए स्थायी विलयन की तारीख तक विलयन के समय लागू नियमों के अनुसार अनुपातिक सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं की अनुमति दी जाती है । स्वायत्त निकायों अथवा उपक्रमों को जाने वाले अस्थायी कर्मचारियों को ऐसी प्रसुविधाओं की अनुमति नहीं है ।

2. कई केन्द्रीय स्वायत्त/सांविधिक निकायों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध पेंशन योजना के आधार पर पेंशन योजना लागू कर रखी है । अतः ऐसे स्वायत्त/सांविधिक निकायों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उनके कर्मचारियों द्वारा स्वायत्त निकाय में कार्यग्रहण करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य स्वायत्त निकाय में की गई सेवा को कतिपय शर्तों के अधीन पेंशन के प्रयोजन के लिए स्वायत्त निकाय की सेवा के साथ जोड़ने की अनुमति दी जानी चाहिये । केन्द्रीय सरकार में जाने

.....2/-

वाले स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है । दूसरे शब्दों में, सुझाव यह है कि संयुक्त सेवा पर आधारित पेंशन प्रसुविधा लागू की जानी चाहिये ।

3. मामले पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया है और राष्ट्रपति अब यह निर्णय करते हैं कि केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को जाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों अथवा केन्द्रीय सरकार को जाने वाले स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के मामले तथा एक केन्द्रीय स्वायत्त निकाय से दूसरे केन्द्रीय स्वायत्त निकाय को जाने वाले कर्मचारियों के मामले निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार विनियमित किए जाएं:-

(क) जिन स्वायत्त निकायों में पेंशन योजना लागू है

(i) जब किसी पेंशनी संगठन में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के किसी कर्मचारी को किसी स्वायत्त निकाय में विलयन की अनुमति दी जाती है तो उसके द्वारा सरकार के अधीन की गई सेवा को स्वायत्त निकाय के अधीन पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी चाहे उक्त कर्मचारी सरकार में अस्थायी रहा हो अथवा स्थायी । किन्तु पेंशन संबंधी प्रसुविधाएं केवल तभी मिलेंगी जबकि अस्थायी सेवा के बाद उसका स्थायीकरण हो गया हो । यदि वह स्वायत्त निकाय में अस्थायी कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसे सेवान्त प्रसुविधाएं उसी प्रकार मिलेंगी जो सामान्यत: सरकार के अधीन अस्थायी कर्मचारियों को उपलब्ध हैं । स्वायत्त निकायों के जो कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के अधीन स्थायी तौर पर विलयित हो जाते हैं उनके मामले में भी वही क्रियाविधि लागू होगी ।

स्वायत्त निकाय/सरकार में जैसा भी मामला हो, विलयन की तारीख तक की सेवा के लिए अनुपातिक दरों पर पेंशन/सेवा उपदान/सेवान्त उपदान तथा मृत्यु और सेवा निवृत्ति- प्रसुविधाओं का एक ही बार में एक मुश्त भुगतान करके सरकार/स्वायत्त निकाय अपने पेंशन दायित्व को पूरा करेगी । अनुपातिक दरों पर पेंशन की एक मुश्त राशि समय समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन का लघुकरण) नियमावली, 1981 में निर्धारित परिवर्तन सारणी को ध्यान में रखकर निश्चित की जाएगी ।

(ii) अंशदायी भविष्य निधि प्रसुविधाओं का हकदार केन्द्रीय सरकार का कोई कर्मचारी यह विकल्प दे सकेगा कि वह या तो सरकार से उसे मिलने वाली अंशदायी भविष्य निधि प्रसुविधाएं प्राप्त करेगा और उस निकाय में अपनी सेवा नए सिरे

(ङ) किसी एक केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकाय के कर्मचारियों का दूसरे केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकाय में विलय ।

एक स्वायत्तशासी निकाय से दूसरे स्वायत्तशासी निकाय को जाने वाले कर्मचारियों के संबंध में उपर्युक्त क्रियाविधि आवश्यक तरमीम सहित अपनाई जाएगी ।

4. "केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकाय" का आशय ऐसे निकाय से है जिसका वित्तपोषण पूर्णत: अथवा अधिकांशत: उपकरों अथवा केन्द्रीय सरकार के अनुदान से होता है । "अधिकांशत:" का आशय यह है कि स्वायत्त-शासी निकाय के 50% से अधिक के खर्चे की पूर्ति उपकरों अथवा केन्द्रीय सरकार की अनुदानों सहित होती है स्वायत्तशासी निकाय में केन्द्रीय सांविधिक निकाय अथवा केन्द्रीय विश्वविद्यालय तो शामिल होंगे किन्तु सरकारी क्षेत्र के उपक्रम शामिल नहीं होंगे ।

इस प्रयोजन के लिए केवल उसी सेवा को जोड़ा जाएगा जो कि सरकार/स्वायत्तशासी निकाय के संगत नियमों के अधीन पेंशन के लिए अर्हक मानी जाती हो ।

5-(1) स्थिति अनुसार केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकाय अथवा केन्द्रीय सरकार के जिन कर्मचारियों को अपनी पिछली सेवा के संबंध में अनुपातत: सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं या अन्य सेवान्त प्रसुविधाएं पहले ही मंजूर की जा चुकी है अथवा उन्हें प्राप्त हो चुकी है, उनके समक्ष निम्न विकल्प रहेंगे:-

(क) इस प्रकार की प्रसुविधाओं को बनाए रखना किन्तु उस स्थिति में उनकी पिछली सेवा स्थिति अनुसार स्वायत्तशासी निकाय अथवा केन्द्रीय सरकार के अधीन पेंशन के प्रयोजनों के लिए अर्हक नहीं मानी जाएगी अथवा

(ख) पिछली सेवा के नए संगठन में पेंशन के प्रयोजनों के लिए अर्हक सेवा के रूप में जुड़वाना किन्तु उस स्थिति में अनुपातत: सेवानिवृत्ति अथवा अन्य सेवान्त सुविधाएं यदि कर्मचारियों द्वारा पहले ही प्राप्त कर ली गई है स्थिति अनुसार स्वायत्तशासी निकाय अथवा केन्द्रीय सरकार में जमा की जानी होगी । ऐसी स्थिति में उन प्रसुविधाओं के प्राप्त किए जाने की तारीख से लेकर उस तारीख तक का ब्याज भी जमा कराना होगा जिसको कि वे स्थिति अनुसार स्वायत्तशासी संगठन अथवा केन्द्रीय सरकार में जमा कराई जानी हो । पिछली सेवा को अर्हक सेवा के रूप में जुड़वाने का अधिकार तब तक नहीं मिल सकेगा जब तक कि पूरी रकम लौटा नहीं दी जाती । दूसरे जिन मामलों में अनुपातत: सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं पहले ही मंजूर की जा चुकी है किन्तु अभी तक देय नहीं हुई है, संबंधित प्राधिकारी उस मंजूरी को तभी रद्द कर देंगे जबकि

से आरंभ करेगा अथवा सरकार में की गई सेवा को स्वायत्त निकाय में पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में गिने जाने का विकल्प देगा और अंशदायी भविष्य निधि के लिए सरकार के अंश तथा ब्याज को छोड़ देगा और यह राशि संबंधित सरकारी विभाग द्वारा संबंधित स्वायत्त निकाय को भुगतान कर दी जाएगी । ऐसा विकल्प विलयन की तारीख से एक वर्ष के भीतर दिया जा सकेगा । यदि निर्धारित अवधि के भीतर विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि कर्मचारी ने अंशदायी भविष्य निधि सुविधाएं प्राप्त करने के लिए विकल्प दे दिया है । एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा ।

(ख) जिन स्वायत्त निकायों में पेंशन योजना लागू नहीं है

(i) पेंशनी संगठन में कार्य कर रहा केन्द्रीय सरकार का स्थायी कर्मचारी ऐसे स्वायत्त निकाय में विलयन होने पर वित्त मंत्रालय के दिनांक 8-4-76 के समय समय पर यथासंशोधित का0ज्ञा0सं0 26(18) ई V(वी)/75 के उपबन्धों के अनुसार अनुपातिक दर पर सेवानिवृत्ति सुविधाओं का पात्र होगा । स्थायीवत् या अस्थायी कर्मचारियों के मामले में नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सेवान्त उपदान कर्मचारी को वस्तुत: उस तारीख को देय होगा जिसको स्थायी कर्मचारियों की अनुपातत: सेवानिवृत्ति सुविधाएं देय हो जाती हैं । तथापि अंशदायी भविष्यनिधि सुविधाओं का लाभ उठाने वाले किसी सरकारी कर्मचारी के इस प्रकार के स्वायत्तशासी संगठन में विलयन हो जाने के बाद उनके अंशदान तथा सरकारी अंशदान की राशि यदि कोई हो के साथ तथा उस पर ब्याज सहित उस निकाय की सहमति से उसके नए भविष्य निधि लेखे में स्थानान्तरित कर दी जाएगी ।

(ii) जब किसी स्वायत्त शासी निकाय के किसी कर्मचारी को केन्द्रीय सरकार के अधीन स्थायी तौर पर समाविष्ट कर दिया जाता है तो उसके सामने दो विकल्प रहेंगे अर्थात् या तो वह स्वायत्तशासी निकाय द्वारा देय अंशदायी भविष्यनिधि सुविधाएं प्राप्त करके सरकार मे नए सिरे से नौकरी शुरू कर सकता है या अंशदायी भविष्यनिधि में नियोक्ता के अंशदान और उस पर देय ब्याज सहित, राशि का त्याग करके उस निकाय में की गई सेवा को सरकार के अधीन पेंशन के प्रयोजनों से अर्हक सेवा के रूप में जुड़वाने का विकल्प दे सकता है । बाद वाली स्थिति मे स्वायत्तशासी निकाय को नियोक्ता का अंशदान और उस पर देय ब्याज की अदायगी संबंधित सरकारी विभाग द्वारा की जाएगी । यह विकल्प विलयन की तारीख से एक वर्ष के भीतर दिया जाएगा । यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह समझ लिया जाएगा कि कर्मचारी ने अंशदायी भविष्य निधि सुविधाएं प्राप्त करने का विकल्प दिया है । एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा ।

संबंधित कर्मचारी अपनी पिछली सेवा को पेंशन के प्रयोजनों के लिए जुड़वाने का विकल्प देता है । उस स्थिति में संबंधित कर्मचारी को उसके द्वारा दिए गए विकल्प के स्वीकार किए जाने और मंजूरी के रद्द किए जाने की लिखित सूचना दी जाएगी । ऐसा विकल्प इन आदेशों के जारी होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर दिया जायेगा । यदि ऐसे कर्मचारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह समझा जाएगा कि उन्होंने पहले से प्राप्त सुविधाओं को बनाए रखने का विकल्प दिया है । एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम माना जायेगा ।

2- जहां पर पिछली सेवा के लिए कोई सेवान्त प्रसुविधाएं प्राप्त नहीं की गई/वहां पिछली सेवा को केवल पेंशन के लिए अर्हक सेवा माना जायेगा बशर्ते कि पहले नियोक्ता ने इस कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट गये सिद्धान्तों के अनुसार पेंशन के दायित्व को स्वीकार कर लिया हो ।

किसी भी स्थिति में पेंशन का अंशदान/दायित्व सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

6- ये आदेश केवल वहीं लागू होंगे जहां पर कर्मचारी का स्थानान्तरण जिस संगठन के अधीन वह पहले कार्य कर रहा था, उसकी सहमति से, दूसरे संगठन में हुआ था । / होता है। इनमे उन मामलों को भी शामिल किया जाएगा जिनमें कर्मचारी ने अपने ही प्रयासों से रोजगार प्राप्त किया हो बशर्ते कि उसने अपना प्रार्थनापत्र उचित माध्यम से अथवा संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी की समुचित अनुमति से प्रस्तुत किया हो ।

7- ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे तथा ऊपर निर्दिष्ट संशोधित नीति उन कर्मचारियों के मामले में लागू होगी जो सरकारी /स्वायत्त निकाय सेवा से इन आदेशों के जारी होने ~~की पहले तारीख को~~ या बाद मे सेवानिवृत्त हुए हों ।

वित्त मंत्रालय के दिनांक 8 अप्रैल, 1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 25(18)ई V(बी)/75 तथा दिनांक 8 सितम्बर, 1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 25(1)ई V/83 में दिये गये उपबन्ध अथवा कोई अन्य आदेश जहां तक वे इस ज्ञापन में दिये गये किसी मामले की व्यवस्था सम्बन्धित है । लागू नहीं रहेंगे ।

8- शिक्षा तथा सांस्कृतिक मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे संबंधित वित्तीय सलाहकारों के सुस्पष्ट निर्देश देते हुए अपने अधीन स्वायत्त/संबिधिक निकायों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दें कि वे अपने नियमों/विनियमों में इस कार्यालय ज्ञापन मे निहित उपबन्धों के अनुसार व्यवस्था कर लें । जिन मामलों में ऊपर निर्दिष्ट पद्धति से भिन्न पद्धति का पालन किया जा रहा है उनमें भी इस कार्यालय ज्ञापन के उपबन्धों के अनुसार संशोधन कर दिए जाएं जिससे कि इन मामलों में सभी संगठनों में एकरूपता लाई जा सके ।

9 - जहां तक कि भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का सम्बन्ध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

एस॰आर॰ अहीर

(एस॰आर॰ अहीर)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि ।